पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–21] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–17

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	233–238	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	235–242	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	159–192	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

अधिसूचना

20 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 301/XVIII-B-1/2020–15(5)/2020–विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्वव्यापी कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को एक महामारी घोषित किये जाने तथा इस वायरस के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2020 से आपदा घोषित किये जाने पर वर्तमान में सम्पूर्ण देश व राज्य में लॉकडाउन लागू किया गया है। इस कारण राज्य के किसानों को अपनी कृषि उपज को बेचने व भण्डारण हेतु नजदीक/उचित स्थान मिलने में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उपर्युक्त के संदर्भ में कोविड–19 के संक्रमण के कारण राज्य के कृषक, कृषक समूह, सहकारी समिति, उद्योग आदि एवं जनता पर लॉकडाउन में पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 72 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 की धारा 11(ख) एवं धारा 83 को अतिक्रमित करते हुए कृषि उपज के लिए प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित हॉटस्पॉट को छोड़ते हुए शेष स्थानों के लिए निम्नवत् व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. राज्य में लागू तालाबन्दी की अवधि में राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें FPOs, सहकारी समिति आदि को सीधे कृषक से क्रय–विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. राज्य में लागू तालाबन्दी की अवधि में राज्य में घोषित मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्लान्ट, क्लस्टर को उपमण्डी स्थल घोषित किये जाने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।
3. कृषक, कृषक समूह, कृषि उत्पादन संस्थायें FPOs, सहकारी समिति उद्योग आदि को कृषि उत्पाद की विकेन्द्रीकृत मार्केटिंग को प्रोत्साहन एवं ग्राम स्तर से अधिप्राप्ति की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,

मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

संशोधन

11 मई, 2020 ई0

संख्या 638/X-2-2020-08(52)/2001–वन अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0–544/X-2-2020-08(52)/2001, दिनांक 13.03.2020 द्वारा श्री राजीव तलवार को राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद हरिद्वार–देहरादून क्षेत्र) हेतु 01 वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक नियुक्त किया गया है, में जनपद हरिद्वार–देहरादून क्षेत्र के अतिरिक्त पौड़ी क्षेत्र का अंकन छूट गया है। अतएव उक्त आदेश में जनपद हरिद्वार–देहरादून क्षेत्र के स्थान पर राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद हरिद्वार–देहरादून क्षेत्र–पौड़ी क्षेत्र) पढ़ा जाए।

2. उक्त आदेश दिनांक 13.03.2020 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

परिवहन अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

29 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 107/IX-1/14 (2008)/2019–उत्तराखण्ड परिवहन सेवा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री अनीता चमोला को नियमित चयनोपरान्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700 के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के आलोक में सुश्री अनीता चमोला को निर्देशित किया जाता है कि वह सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करते हुए पूर्ववत् ही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के दायित्वों का निर्वहन सम्पादित करेगीं और सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर तैनाती विषयक् आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री अनीता चमोला सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगी।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 256/2020/06(100)/XXVII(8)/2006–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), राज्य कर मुख्यालय, देहरादून के रिक्त पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल '15' ₹ 144200–218200 (पूर्व वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10000) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नत अधिकारी उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन पदोन्नत पद पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति ज्येष्ठता से सम्बन्धित वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–728/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) No. 30133 of 2019) में दिनांक 07 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय के अधीन मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में गतिमान वाद में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत पद के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करते हुए इसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 अप्रैल, 2020 ई0

संख्या 258/2020/45(100)/XXVII(8)/2005–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री हरीश चन्द्र भट्ट, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '13क' ₹ 131100–216600 (पूर्व वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को अपर आयुक्त के निम्न रिक्त पद पर तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1.	श्री हरीश चन्द्र भट्ट, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त देहरादून जोन, देहरादून

3. उक्त पदोन्नति ज्येष्ठता से सम्बन्धित वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 728/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) No. 30133 of 2019) में दिनांक 07 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में गतिमान वाद में एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नत अधिकारी श्री हरीश चन्द्र भट्ट, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

01 मई, 2020 ई0

संख्या 259/2020/45(100)/XXVII(8)/2005–उत्तराखण्ड प्रांतीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली के अधीन राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री नवीन चन्द्र जोशी, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर को विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में अपर आयुक्त, राज्य कर, वेतन मैट्रिक्स लेवल '13क' ₹ 131100–216600 (पूर्व वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8900) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को अपर आयुक्त के निम्न रिक्त पद पर तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	नवीन तैनाती स्थल/कार्यालय
1.	श्री नवीन चन्द्र जोशी, अपर आयुक्त	अपर आयुक्त हरिद्वार जोन, हरिद्वार

3. उक्त पदोन्नति ज्येष्ठता से सम्बन्धित वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन सिविल अपील संख्या 728/2020 (Arising out of S.L.P. (Civil) No. 30133 of 2019) में दिनांक 07 जनवरी, 2020 को पारित निर्णय के अधीन मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड में गतिमान वाद में एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नत अधिकारी श्री नवीन चन्द्र जोशी, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती के स्थल पर तत्काल योगदान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। पदोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

01 मई, 2020 ई0

संख्या 265/XIX-1/2020–16 खाद्य/2012–एतद्द्वारा श्री मोहन सिंह बिष्ट, वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग, हल्द्वानी (काशीपुर) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 (7वें वेतन आयोग में वेतन मैट्रिक्स (लेविल 10) ₹ 56100–177500) के पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, कुमायूँ सम्भाग नैनीताल के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मोहन सिंह बिष्ट, को सहायक नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) के पद पर 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. प्रश्नगत पदोन्नति उत्तराखण्ड राज्य हेतु होने वाले अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शी समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश के अन्य कार्मिक उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में, इस आदेश को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुशील कुमार,

सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

11 मई, 2020 ई0

संख्या 05/नो0डी0/XXXVI-A-1/2020–24 नो0डी0/2017–नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके मा0 राज्यपाल, श्रीमती शोभा बहुगुणा भण्डारी, अधिवक्ता को दिनांक 11.05.2020 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिए तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्रीमती शोभा बहुगुणा भण्डारी का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,

सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification **No. 05/No-D/XXXVI-A-1/2020-24 No-D/2017**, dated May 11, 2020.

NOTIFICATION

Appointment

May 11, 2020

No. 05/No-D/XXXVI-A-1/2020-24 No-D/2017--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mrs. Shobha Bahuguna Bhandari, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 11.05.2020 for Tehsil Kotdwar, District Paùri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mrs. Shobha Bahuguna Bhandari be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,
PREM SINGH KHIMAL,
Secretary, Law-cum-L.R.

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

विज्ञप्ति

02 मई, 2020 ई0

संख्या 452/VII-A-1/2020/46ख/18–विज्ञप्ति संख्या–1577/VII-1/2017/46ख/17–दिनांक 07 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 23 (1) के प्रावधानानुसार जनपद पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं नैनीताल के कुल 105 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया था, जिसमें जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत क्र0सं0 12 पर वर्णित "ग्राम घिंघरानी, तहसील डीडीहाट, क्षेत्रफल 1.169 है0" के स्थान पर "जनपद पिथौरागढ़, तहसील डीडीहाट, ग्राम घिंघरानी खाता सं0 06 के खसरा सं0 1962 म0 0.235 है0, खसरा सं0 1964 म0 0.214 है0, खाता सं0 08 के खसरा सं0 1963 म0 0.512 है0, खसरा सं0 2108म0 0.208 है0 कुल रकवा 1.169" का संशोधन किया जाता है।

2– संगत विज्ञप्ति दिनांक 07 नवम्बर, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एन0एस0 डुंगरियाल,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/133–भाग 1–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, AT NAINITAL

NOTIFICATION

April 11, 2020

No. 86/UHC/Admin.B/2020--Having considered the imminent threat to the human life by spread of COVID-19 (Corona Virus), considering the lockdown declared by Government of India and in view of directions of the Hon'ble Supreme Court of India in ***Suo Motu Writ* (Civil) No 5 of 2020, *In Re:* Guidelines for Court Functioning through Video Conferencing During COVID 19 Pandemic,** to reduce physical presence in the Court by promoting social distancing and for the safety of litigants, advocates and the staff, in the larger public interest, Hon'ble the Chief Justice is pleased to issue following directions with regard to conduct of the business of the High Court of Uttarakhand, to be applicable from 15-04-2020 and till the further orders-

1. Except hereinafter provided, which is to be dealt with in the manner formulated in this Notification and the Schedule appended thereto, no other matter shall be entertained by the High Court of Uttarakhand.
2. In case of fresh matter with extreme urgency, Registrar (Judicial) or such officer of the Court, deputed in this regard, shall be the Nodal Officer and the summary of the proposed matter with urgency application justifying extraordinary circumstances that matter be taken up by the Court, despite the lockdown, shall be e-mailed to the address given in Schedule to this Notification.

3. The particulars and contact details of Registrar (Computer), Registrar (Judicial) and such other officers of the Court, whose particulars and contact details are necessary for more convenient implementation of the directions given in this Notification, shall be displayed in the official website of the Court, and in no case, advocate, his law clerk, any of his other staff or the party to the matter shall contact, in person, any officer/staff of the High Court, nor they shall visit any of its establishment/section.

4. Subject to the directions of Hon'ble the Chief Justice, criteria for the urgent hearing shall be same as the criteria of urgent hearing considered during holidays.

5. On receipt of summary of the proposed matter with urgency application justifying the extraordinary circumstances, Registrar (Judicial) or the officer of the Court deputed in this regard, shall place the matter alongwith his report before Hon'ble the Chief Justice for further orders.

6. If Hon'ble the Chief Justice orders that the matter be placed before the Court, the advocate concerned shall be informed to e-mail the petition alongwith the annexure/documents in PDF format to e-mail address given in Schedule to this Notification.

7. The petition received by e-mail from the advocate shall be registered in CIS in the same manner as is followed in the normal course and after scrutinizing the petition, the officer of Institution Section of the Court deputed in this regard, shall forward the petition to the Registrar (Judicial) or such officer of the Court deputed in this regard.

8. Where defects are pointed out in the Petition, information to that effect shall be communicated to the advocate by e-mail for removal of the defects by return e-mail only, provided that the advocate may also request that the petition may be placed before the Court concerned with defects.

9. The Registrar Judicial or such officer of the Court, deputed in this regard, shall thereafter forward the petition alongwith the cause list, to Registrar (Computer) for onward transmission of the petition to the Court and to facilitate the hearing through video conferencing. For this purpose, Registrar (Computer) shall establish a control room with software professionals of Computer Section of the High Court, who shall work under his supervision.

10. Nothing hereinbefore contained shall affect the powers of the Court to dismiss prayer for urgent hearing after going through the petition and documents filed in support thereof, at any stage prior to the hearing through video conferencing.
11. Where the prayer for the urgent hearing is not dismissed at the preliminary stage, as above, the matter shall be heard through video conferencing in the manner provided in Schedule to this Notification.
12. Where Benches are already not constituted for hearing under this Notification, before forwarding the petition to the Registrar (Computer) for onward transmission of the petition to the Court concerned, the Registrar (Judicial) shall take orders from Hon'ble the Chief Justice for constitution of the Bench for the matter concerned and the orders so received by him, shall be communicated to all the concerned.
13. Pending matters, if are already fixed for hearing on such dates which fall while this Notification is in force, shall stand adjourned.

SCHEDULE

(Notification No. 86/UHC/Admin.B/2020, Dated 11.04.2020)

1. The e-mail address for filing summary of the proposed matters or the petitions *etc.* under this Notification is ukhc.nainital@uk.gov.in.
2. The advocates shall e-mail the complete petition (one single properly numbered pdf file) to the aforesaid e-mail address in softcopy (scanned/typed PDF) along with all the relevant documents including proof of payment of Court fee in PDF format only.
3. Petitions are required to be signed/digitally signed by the advocate before scanning/conversion. Annexure to the Petitions shall also be scanned in PDF format. In no case, hard copy of petition/application/annexure/any document *etc.* shall be received while this Notification is in force.
4. Petition/application/annexure/documents *etc.*, which are required to be signed by the party concerned, shall be singed/digitally signed by the advocate, provided that while doing so the advocate shall file an acknowledgement along with proof of identity of the party concerned, obtained through any electronic mode of communication that such party admits

the Petition/application/annexure/documents *etc.*, which is signed/digitally signed by the advocate on his behalf.

5. Where party is required to file an affidavit, the advocate may e-mail an application on behalf of the party that due to the lockdown and the circumstance arising there from, requirement of filing the affidavit be dispensed with, provided that in such case, after this Notification cease to have effect, the party shall file the affidavit.

6. The advocate while filing the summary of proposed matter or the petition, as the case may be, shall necessarily submit his enrolment number with Bar Council, registered mobile number, e-mail address and scanned photo ID issued by Bar Council or any Government Authority.

7. With the petition, the advocate shall also e-mail undertaking to the effect that within 3 days from the day this Notification ceases to have effect or by any future date specified in this regard, he shall submit hard copies of the petition, application, documents *etc.* e-mailed by him under this Notification, in the same manner, as followed in normal course.

8. As soon as the hard copies of the petition, application, documents *etc.* are so received, the concerned Judicial Section of the Registry shall prepare file of the case in the same manner, case files are prepared in the normal course for maintaining the records.

9. Where under Para 11 of this Notification, Court proceeds to hear the matter through video conferencing, the Registrar (Computer) shall cause the details of VC id link, date and time intimated to the advocate concerned through SMS/e-mail/Whatsapp service. The advocate shall not share the link details so intimated to him with any person.

10. The hearing through video conferencing shall be held on such date and at such place and time, as fixed by the Court.

11. The advocate shall be ready with all hardware/software facilities for the video conferencing one hour prior to the time given as above, for testing functionality of the video conferencing by the Control Room mentioned hereinbefore.

12. Where State or Union of India is the respondent in any matter and intimation of the hearing is to be given to Chief Standing Counsel/Government Advocate/Advocate of the Union of India

for appearance/participation in the hearing through video conferencing, the intimation alongwith copies of the petition *etc.*, shall be sent to their official e-mail address, which shall be deemed to be sufficient service of the notice.

13. The Video Conferencing shall be held through **"Jitsi Meet"** software and for this purpose, advocates are required to download and install the said software in their mobile phone/tab/laptop/personal computer/etc., which is available in Google play store/apple store, free of cost.

14. The mobile phone/tab/laptop/personal computer/*etc.* of the advocates are required to have (i) Internet Connection (minimum 2 MBPS), (ii) web camera (adequate resolution 1 MP or above), (iii) speaker and microphone (clear sound), and such other facilities necessary for the aforesaid software.

15. Where for any reason, the video conferencing can not be held through **"Jitsi Meet"**, the conferencing shall be first held through **'Zoom Cloud Meeting'** software and if the video conferencing can also be not held through this software, in that event, the conferencing shall be held through **Vidyo Mobile/Desktop** software. The advocates are, therefore, required to download and install these two software in advance, which are also available on Google play store/apple store.

16. No software other than the software stated above, shall be used for the video conferencing.

17. In the hearing through video conferencing, advocates will participate from their respective office/residence, provided that where an advocate does not have the aforesaid software/hardware facilities, he has an option to participate in the hearing from service room arranged in this regard in the High Court premises, details of which are available in the official website of the Court.

18. In the hearing through video conferencing, advocates shall follow all protocols which are followed in the normal Court proceedings, provided that so far as the dress code is concerned, advocate may appear/participate in any formal wear conforming to dignity and decorum of the judicial proceedings.

19. During the hearing through video conferencing, when Court is in session with one end, the other end not in session with the Court, shall keep its Microphones on mute mode.

20. The orders passed by the Court will be delivered in the manner, as orders are delivered in the normal course and soon after getting the order signed by the Hon'ble Judge, the Private Secretary/Personal Assistant of the Court shall send the ink signed copy of the order to the section officer-in-charge of the Judicial Section concerned, who shall keep the order in his safe custody till same is bunched with the case file prepared as per the Para 8 of this Schedule. While sending the ink signed copy of order to the section officer-in-charge of the Judicial Section, the Private Secretary/Personal Assistant will also upload the order in the CIS/NJDG, in the same manner, orders are uploaded in normal course.

21. Where for ensuring social distancing, the Hon'ble Judge gets the order typewritten by dictation to the Private Secretary/Personal Assistant over telephone or any electronic mode of communication, which the Hon'ble Judge deems fit and appropriate, the Private Secretary/Personal Assistant shall prepare the hard copy of the order and after getting the order signed by the Hon'ble Judge, he shall proceed in the manner hereinbefore provided.

22. Where printout of the order uploaded as above is presented before any person or authority, the authenticity of the order shall be ascertained by such person or authority by comparing the same with the order uploaded in CIS/NJDG, and wherever the authenticity has been so ascertained, the said person or authority shall not press for the certified copy of the order and shall act upon, as if the order, as presented above, is the certified copy.

23. The recording of proceedings held under this Notification is strictly prohibited.

24. Where no advocate has been engaged by a party, the word **'advocate'** wherever occurring in this Notification, unless the context otherwise requires, shall also include the **'Party-in-Person'**

25. For filing of reply, documents, annexure, affidavit, video conferencing *etc.* by the respondent, all provisions applicable to the petitioner for filing of petitions, documents, annexure, affidavit, video conferencing *etc.* under this Notification, shall apply, as if they are also for the respondent.

26. For the video conferencing, besides the guidelines given in this Notification and the Schedule, Standard Operating Procedure (SOP) separately issued and published in official website of the High Court shall also apply.

By Orders of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

April 28, 2020

No. 91/UHC/I-a-2/Admin.(A)/2020--Sri Nitin Kumar, presently working as Sr. System Officer (Contractual) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital, under E-Courts Project is hereby appointed on the vacant post of Sr. System Officer in the High Court of Uttarakhand Information Technology (I.T.) Cadre in Pay scale of 56100-177500 (Level-10) from the date of his taking over charge.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General.

NOTIFICATION

May 19, 2020

No. 96/XIV-79/Admin.A/2003--Smt. Neelam Ratra, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 30 days *w.e.f.* 20-02-2020 to 20-03-2020 in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

May 19, 2020

No. 97/XIV/a-37/Admin.A/2017--Shri Rizwan Ansari, Civil Judge (Jr. Div.), Chakrata, District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 17-02-2020 to 07-03-2020 with permission to prefix 16-02-2020 as Sunday holiday and suffix 08-03-2020 to 10-03-2020 as Sunday and Holi holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE (ON HANDING OVER)

May 15, 2020

No. 1970/UHC/Admin.(A)/2020--Certified that in pursuance of the Order No. DG-ek-104-2020(2) dated 19-03-2020 of inspector General of Police, Personnel, Uttarakhand, the undersigned has taken over the charge of the office of the Superintendent of Police, Vigilance Cell (on vacant post) in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital in the forenoon of 14-05-2020.

AMIT SRIVASTAVA-II,

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/133–भाग 1–क–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 मई, 2020 ई0 (ज्येष्ठ 09, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद् गौचर (चमोली)

नगर पालिका परिषद् गौचर–ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि

(का0–01363–240711 : फैक्स–01363–240711 : ई–मेल–conppgauchar16@gmail.com)

06 फरवरी, 2020 ई0

पत्रांक–1072/भ0क0/उप0/2019–20/न0पा0प0 गौचर–नगर पालिका परिषद् अधिनियम की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गई ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर पालिका परिषद् गौचर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर पालिका परिषद् गौचर के अधिवेशन दिनांक 11–06–2019 में प्रस्ताव सं0 17 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गौचर को प्रेषित की जा सकेंगी, उपर्युक्त के अन्तर्गत उपनियमावली इस प्रकार होगी :–

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :
(1) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद्,गौचर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 कहलाएंगे।

(2) ये उप–नियम नगर पालिका परिषद्,गौचर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि 2009, गजटनोटिफिकेशन 16 जुलाई 2010 द्वारा प्राख्यापित उपविधि नगर पालिका परिषद्,गौचर ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उप–नियम, 2019 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी।

2. ये उप–नियम नगर पालिका परिषद्, गौचर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:–

(क) **"बल्क उद्यान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार,कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना;

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगर पालिका का अध्यक्ष, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपनियमों के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर पालिका के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर पालिका या नगर पालिका द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबंधन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस)कहा जा सकता है;

(ठ) **"कूडा–कचरा"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उप–नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति,जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों,आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर पालिका के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालिंयो को साफ करने के लिये नगर पालिका/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्व शेड्यूल;

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय –2

ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

(प) सभी कचरा उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार पृथ्थकृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(पप) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या शुष्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–

हरा:– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:– गैर–जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए;

काला:– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगर पालिका के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए,पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग,उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगर पालिका की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससें बचे हुए कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगर पालिका के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगर पालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर पालिका को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगर पालिका द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्संबेधी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या शुष्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगर पालिका द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगर पालिका के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर पालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

(गपप) निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

(गपपप) बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गएं तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(गपअ) निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और सेजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

(गअ) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय–3

ठोस कचरा संग्रह

5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा:–

(प) नगर पालिका के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगर पालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(पप) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर पालिका वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगर पालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(पपप) कचरे को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने का प्रबंध किए जाएगे।

(पअ) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

(अ) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

(अप) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

(अपप) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

(अपपप) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगर पालिका द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(पग) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

(ग) स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

(गप) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगर पालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर पालिका द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर पालिका अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगर पालिका की नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(गपप) तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(गपपप) अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(गपअ) ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ती/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी।

(गअ) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

(गअप) नगर पालिका या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

अध्याय–4

ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा

(प) घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

(पप) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

(पपप) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगर पालिका द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगाः–

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

नगर पालिका समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित

गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

(पअ) नगर पालिका स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

(अ) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर पालिका या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

(अप) संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

(अपप) संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

(अपपप) सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

(पग) नगर पालिका या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

(ग) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर

(क) नगर पालिका अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

(ख) गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर पालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बेच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर पालिका अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय–5

ठोस कचरे की ढुलाई

7. ठोस कचरे की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–

(प) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभॉति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगर पालिका द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

(पप) नगर पालिका द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

(पपप) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।

(पअ) जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(अ) एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।

(अप) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।

(अपप) नगर पालिका कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

(अपपप) ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।

(पग) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

(ग) यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगर पालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

(गप) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

(गपप) कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।

(गपअ) कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

(गअ) इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।

(गअप) परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।

(गअपप) एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।

(गअपपप) ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

(गअग) नगर पालिका अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय–6

ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

8. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :–

(प) नगर पालिका ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योप्रकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जायेगा:–

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

(ख) केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

(ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

(घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

(पप) नगर पालिका रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

(पपप) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

(पअ) नगर पालिका सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

9. ठोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–

(प) नगर पालिका सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

(पप) नगर पालिका यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

(पपप) नगर पालिका यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

(पअ) नगर पालिका कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य हागा।

अध्याय–7

ठोस कचरे का निपटान

10. ठोस कचरे का निपटान

नगर पालिका अवशिष्ठ कचरे और गलियों में झाडू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्व ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

अध्याय–8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–

(क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

(ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका अथवा अध्यक्ष/नगर पालिका द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(ग) नगर पालिका इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

(घ) नगर पालिका ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

(ड) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

(च) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

(छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

(ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

(झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :–

(क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

(ग) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त,अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त,उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

(घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

(ड) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय–9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्वः–

(प) कूडा फेकने पर पाबंदी

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

(ग) वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना :-कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलो पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ड) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

(च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(पप) कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

(पपप) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसंर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

(पअ) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगर पालिका से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(अ) ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगर पालिका द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधि में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम

के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर पालिका की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर पालिका के सम्बद्व जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(अप) खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगर पालिका निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

(क) नगर पालिका किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर पालिका निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है :–

(प) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(अपप) डिस्पोजल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन् तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

(क) डिस्पोजल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर पालिका के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगर पालिका को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर पालिका इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

(ख) ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

(ग) सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

14. नगर पालिका के दायित्व :

(प) नगर पालिका अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगर पालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

(पप) नगर पालिका अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

(पपप) नगर पालिका विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

(पअ) सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अधिशासी अधिकारी या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

(अ) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर पालिका जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(अप) नगर पालिका अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

(अपप) नगर पालिका सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

(अपपप) नगर पालिका कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगर पालिका विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

(पग) नगर पालिका स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

(ग) नगर पालिका ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

(गप) नगर पालिका यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

(गपप) नगर पालिका कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

(गपपप) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर पालिका को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(गपअ) नियमित जांच : अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

(गअ) नगर पालिका अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

(गअप) नगर पालिका एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थित दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

(गअपप) पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

(गअपपप) नगर पालिका एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

अध्याय–10

विविध

15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगर पालिका के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पालिका, अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप–नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

अनुसूची–1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में)			
		जैविक अजैविक कूडा अलग–अलग कर सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूडा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक अजैविक कूडा घर/संस्थान /प्रतिष्ठान पर अलग–अलग देने पर	घर/संस्थान/ प्रतिष्ठान पर ही मिश्रित कूडा देने पर
1	2	3	4	5	6
1	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बी.पी.एल/अन्त्योदय कार्ड धारक)	05	10	15	20
2	कम आय वाले परिवार (बी.पी. एल कार्ड धारक के अतिरिक्त रु 5000.00 प्रतिमाह तक की आय वाले परिवार)	05	10	15	20
3	मध्यम आय वाले परिवार (रु 5000.00 से अधिक रु 10000. 00 तक प्रतिमाह आय वाले परिवार)	10	15	20	25
4	उपरोक्त के अतिरिक्त परिवार	15	20	25	30
5	**सब्जि एवं फल विक्रेता**				
	1) ठेली पर फेरी में।	30	40	50	60
	2) दुकान एवं फड पर।	40	50	60	70
6	**मांस एवं मछली विक्रेता**	**50**	**75**	**100**	**125**
7	**रेस्टोरेन्ट**				
	1) छोटे	50	75	100	125
	2) मध्यम	75	100	125	150
	3) बडे	100	125	150	175
8	**होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस**				
	1) 20 बेड तक	100	125	150	175
	2) 21 बेड से 40 बेड तक	125	150	175	200
	3) 41 से अधिक बेड तक	150	175	200	225
9	**धर्मशाला (प्रति कमरा)**	**3**	**5**	**10**	**15**
10	**बारातघर/वैडिंगप्वाइंट (प्रति उत्सव)**				
	1) बरातघर (चेरिटेबिल)	100	150	200	250
	2) बरातघर (नॉन–चेरिटेबिल)	150	200	250	300
11	**बेकरी**	**50**	**75**	**100**	**125**
12	समस्त कार्यालय (सरकारी/गैर सरकारी/प्राइवेट)	50	75	100	125
13	समस्त स्कूल/शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाएं(आवासीय) (सरकारी/गैर सरकारी/प्राइवेट)	150	200	250	300

1	2	3	4	5	6
14	स्कूल / शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय) (सरकारी / गैर सरकारी / प्राइवेट)	100	150	200	250
15	हॉस्पिटल / नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	100	200	300	400
16	क्लीनिक / पैथोलोजी	100	150	200	250
17	**दुकान / चाय की दंकान**				
	1) मौहल्ले की छोटी दुकान	25	30	40	50
	2) बाजार की दुकान	30	40	50	60
	3) शोरुम	40	50	60	70
	4) छोटे मॉल	75	100	125	150
	5) बहुमंजिला मॉल	100	125	150	1750
	6) बाजार के अलावा गलियों में अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निशुल्क	10	20	30	40
18	**फैक्ट्री**				
	1) छोटी	500	600	700	800
	2) बडी	750	1000	1250	1500
19	**वर्कशॉप**				
	1) छोटी	50	60	70	80
	2) बडी	75	100	125	150
20	**कबाडी**				
	1) छोटा	30	40	50	60
	2) बडा	50	75	100	125
21	जूस / गन्ने का रस विक्रेता	10	20	30	40
22	सार्वजनिक / निजी स्थलों पर सर्कस / प्रदर्शनी / विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो (प्रति समारोह / प्रतिदिन)	100	200	300	400
23	**ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट**				
	1) 0.50घन मी0 तक	50	60	70	80
	2) 1.0 घन मी0 तक	60	70	80	90
	3) 3.0 घन मी0 तक	70	80	90	100
	4) 6.0 घन मी0 तक	80	90	100	110
	5) इससे अधिक प्रतिघन मी0 तक	90	100	110	120
24	सिनेमा हॉल / विडियोहॉल	100	150	200	250
25	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिस्ठान की स्थिति के अनुसार)	50	100	150	200

इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंम भुगतान / प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची–2

जुर्माना / दंड

क्र सं	नियम / उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जन्रेटर	200 500
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	5000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान	500
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना	500
	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सडक / गली में 1.कूडा फैकना,थूकना	उल्घनकर्ता	200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फ़ेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना।		500

1	2	3	4	5
2.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	200
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	500
3.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	1000
			गैर–आवासीय / बल्क जनरेटर	5000
4.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना। पॉलिथीन / थर्माकोल की सामाग्री का प्रयोग करने पर।	उल्लंघनकर्ता	5000
5.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता / वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2),	सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना / कुत्ते /	अपराधी	500

1	2	3	4	5
		त्याग / उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता		
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	10,000
			बाजार एसोसिएशन,संघ	20,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	10,000
			संस्थान	20,000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	50,000
			रेस्टोरेंट	20,000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और / या ब्रॉड ऑनर / स्वामी	1,00,000
12.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां	50,000
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ)	नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि	50,000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर	उल्लंघनकर्ता / पर्यटक / वाहन / चालक	1000
15	एसडब्ल्यूएम	नगर निगम की उप	उल्लंघनकर्ता / होटल	1000

1	2	3	4	5
	नियमों का नियम 20(घ)	विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	/ अतिथिग्रह स्वामी	
16		सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

पार्किंग उपविधि नगर पालिका परिषद गौचर

(मो0 न0 01363040711 ई0मेल– eonppgauchar16@gmail.com)

नगर पालिका परिषद गौचर अपनी सीमा के अन्तर्गत वाहन पार्किंग स्थापित करते हुये यू0पी0 म्युनिसिपैलिटिज एक्ट 1916 की धारा 298 (2) जे (डी) व एच (बी) जो कि नगर क्षेत्रो पर भी लागू है, के अन्तर्गत किराये पर चलने वाले यात्री एवं माल वाहनों व मोटर कार तथा अन्य वाहनों के ठहरने को नियमित करने व पार्किंग शुल्क निर्धारित करने हेतु उप–विधियां बनती है।

उपविधियां

1– यह उप–विधियां किराये पर चलने वाले वाहनों के नियंत्रण उपविधियां कही जायेगी।

2– नगर क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिका परिषद गौचर से है।

3– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद गौचर अधिकारी से है।

4– स्वामी और उसके अभाव में किसी भी यात्री बस या माल वाहन या मोटर लारी अथवा मोटर कार का चालक जो नगर पालिका परिषद् गौचर की सीमा के अन्दर किराये के लिय रखी जावे निम्न निर्धारित स्थल पर ही केवल यात्रियों को चढाने और उतारने के लिये रुकेगा।

5– प्रत्येक मोटर लारी, या ट्रक या बस चालक किसी सार्वजनिक सड़क पर सचिव या अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा रोके जान पर रुकेगा।

6– किराये पर चलने वाले मोटर कार मोटर लारी बस तथा माल ट्रक ठहरने के लिये निम्न स्थान निर्धारित है

(क) बस स्टेशन गौचर (ख) टेक्सी स्टेशन गौचर (ग) पार्किंग गौचर मैदान
(घ) टेक्सी पार्किंग घल्ली डाट पुल (ड) बस स्टेड निकट ताज पेलेस (च) ग्रेफ चौक
(छ) चमयाली (ज) टू व्हीलर पार्किंग रामलीला मैदान (झ) निकट मीट मार्केट

7–(क) व्यवसायिक बस या ट्रक पर शुल्क रुपया 30.00 प्रतिदिन या 780.00 प्रति माह।
(ख) व्यवसायिक 16 सीट से कम मिनी बस, टैक्सी, कार इत्यादि पर शुल्क रु0 10.00 प्रतिदिन या 250.00 प्रति माह।
(ग) निजी वाहनों फोर व्हीलर वाहनों पर 10.00 प्रतिदिन या 250.00 प्रति माह।
(घ) टू व्हीलर पर 10.00 प्रतिदिन।

8– उपरोक्त शुल्कों में यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के वाहन या अन्य किसी वाहनो के शुल्को की दरों में कटौती करनी हो तो उसे अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के लिखित आदेश के उपरान्त ही छुट दी जा सकती है।

शस्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लधन नगर पालिका अधिकारी नियम 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अर्न्तगत दण्डनीय होगा जो मु0 1000.00 रुपया तक हो सकता है उपनियम का उल्लधन जारी रहने पर अग्रेत्तर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए 10.00 रु0 अतिरिक्त अर्थदण्ड लिया जा सकेगा। यह अधिकार नगर पलिका परिषद् गौचर में अन्तिम रुप से निहित होगा।

नोटः– उक्त उपनियम सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को उपनियम के सम्बन्ध में कोई सुझाव या आपत्ति देनी हो तो प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर नगर पालिका परिषद् गौचर के कार्यालय में लिखित रुप में दे सकते है। तदोपरान्त प्राप्त किसी सुझाव या आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नही होगा।

नगर पालिका परिषद् गौचर–विज्ञापन शुल्क उपविधि

(दूरभाष नं0–01363–240711, ई–मेल– eonppgauchar16@gmail.com)

नगर पालिका परिषद गौचर अपने सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 जो कि टाउन एरिया कमेटियों पर भी लागू है, के अन्तर्गत विभिन्न प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों हेतु विज्ञापन शुल्क आरोपित/पुर्नरिक्षित करते हुए शुल्क वसूली उपविधि 2019 बनायी जाती है, जो कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गौचर को प्रेषित की_जा सकेंगी। उक्त अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

विज्ञापन शुल्क वसूली उपविधि–2019

1. यह उपनियम गौचर नगर पालिका अश्लील आपत्तिजनक फिल्म या पोस्टरों आदि के प्रदर्शन पर नियंत्रण नियमावली, 2019 कहलायेगी।

2. इन नियमों में विज्ञापन का अर्थ किसी भी स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये गये सूचना पट्ट, पोस्टर, होर्डिंग, साईन बोर्ड, दीवारों आदि पर पैन्ट से लिखे गये या चौक से बनाये गये/लिखे गये विज्ञापनों से है।

3. इमारत का तात्पर्य किसी भी प्रकार से बनाये गये ढॉचे से है, जो किसी भी मैटीरियल से बनाया गया हो।

4. कोई भी ब्यक्ति नगर पालिका परिषद गौचर की सीमा अन्तर्गत किसी स्थान पर, इमारत के किसी भाग पर या ढॉचे पर विज्ञापनार्थ किसी प्रकार का विज्ञापन, सूचना पट्ट, पोस्टर, बैनर या होर्डिंग आदि नगर पालिका परिषद गौचर के अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त किये बगैर नही लगायेगा।

5. उपरोक्त उपनियम निम्नाकिंत पर लागू नही होगाः–

(अ) ऐसा विज्ञापन जो सरकारी अथवा राष्ट्रीय कार्यो हेतु स्थानीय विकास योजनाओं हेतु शासकीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदर्शन हेतु लगाये जाय।

(ब) ऐसे विज्ञापन या साईन बोर्ड जो किसी स्थानीय ब्यापारी/दुकानदार द्वारा अपनी दुकान या निवास पर अपने ब्यवसाय के सम्बन्ध में लगाया गया हो।

(स) इसके अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थितियों में निशुल्क विज्ञापन लगाने के लिए अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. किसी भी विज्ञापन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए पत्र विज्ञापन के लिपि लेखा सहित दो प्रतियों के साथ नगर पालिका परिषद कार्यालय में देना होगा ताकि अनुमति देते समय अधिशासी अधिकारी विज्ञापन की विषय–भाषा आदि की जॉच करने के पश्चात सन्तुष्टि करेंगे कि विज्ञापन में किसी प्रकार की अश्लीलता या आपत्तिजनक भाषा या किसी समूह की भावनाओं को ठोस पहुॅचाने

वाली बातें या सामुदायिक विष फैलाने वाली भाषा का प्रयोग तो नही किया गया है, इस प्रकार सन्तुष्ट हो जाने के बाद आवेदक को स्वीकृति प्रदान की जायेगी। किन्तु अधिशासी अधिकारी के पास यह अधिशासी अधिकार सुरक्षित होगा, कि वह जनहित में यदि आवश्यक समझे तो अनुमति देय न दें अथवा किसी प्रतिबन्ध या शर्त के साथ अनुमति दें। ऐसी स्थिति में पीडित ब्यक्ति अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद गौचर के सम्मुख एक सप्ताह के अन्दर अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। जिस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

इन उपनियमों में दी जाने वाली निर्गमन की अनुमति के लिए विज्ञापन शुल्क निम्न होगा:–

1.	1 फुटX1 फुट से 6 फुटX 6फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड –	रू0 400 वार्षिक
2.	6फुटX6 फुट से 12फुटX10फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड –	रू0 800 वार्षिक
3.	12फुटX10 फुट से 20फुटX10फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड –	रू0 1000 वार्षिक
4.	12फुटX10 फुट से 40फुटX10फुट साईज के होर्डिंग/बोर्ड –	रू0 1800 वार्षिक
5.	विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्पले 20फुटX20फुट –	रू0 3000 वार्षिक
6.	दीवारों पर कि जाने वाली पेंन्टिंग विज्ञापन प्रति वर्ग मी0 –	रू0 200 वार्षिक
7.	विजली/टेलीफोन के खम्बों पर 2X2 फुट तक होर्डिंग/बोर्ड –	रू0 100 वार्षिक
8.	बैनर कपड़े का (प्रति बैनर) —	रू0 100 वार्षिक
9.	लकड़ी/लोहे के पाईप से सार्वजनिक सड़क पर गेट प्रति नग गेट प्रतिदिन बनाने/ लगाने हेतु ब्यापारिक दृष्टि से —	रू0 300 वार्षिक
10.	अन्य विज्ञापन इलैक्ट्रौनिक्स डिस्प्ले बोर्ड —	रू0 2000 वार्षिक
11.	बैलून/गुब्बारे पर विज्ञापन प्रतिदिन –	रू0 100 वार्षिक

प्रतिबन्ध यह है कि ट्रेड फेयर, गौचर मेला, एवं अन्य आयोजनों पर लगाये जाने वाले वर्ष में विज्ञापन शुल्क दो –गुना होगा।

अनुबन्ध यह भी है कि कम से कम 25 विज्ञापनों के लिए इलैक्ट्रोंनिक डिस्प्ले की आज्ञा दी जायेगी। जिसका शुक्ल अग्रिम जमा करना होगा।

7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौचर के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि इन उपविधियों का उल्लंघन करके यदि कोइ विज्ञापन कही पर लगा दिया गया हो तो उसे हटा सकते है और उसे हटाने में हुए ब्यय को विज्ञापन मालिक या एजैंण्ट से वसूल कर सकते है, यदि कोई ब्यक्ति ब्यय शुल्क जमा न करें अथवा विज्ञापन हटवाने के एक माह के अन्दर होर्डिंग वापस करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत न करे तो विज्ञापन हटाने के एक माह के बाद होर्डिंग/साईन बोर्ड आदि नीलाम करा सकते है।

8. उपनियमों के प्रयोजनार्थ व्यक्ति, व्यक्तियों, कम्पनी या फर्म के मालिकों, प्रबन्धकों, एजेंण्टों या उनके कारिन्दों, जिनके द्वारा विज्ञापन इन उपविधियों का उल्लंघन करते हुए लगाया या लगवाया गया हो, दोषी समझा जायेगा तथा दण्ड का भागी होगा।

9. नगर पालिका परिषद गौचर अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक कार्य सम्बन्धी विज्ञापन निःशुल्क प्रदर्शित किये जा सकेंगे।

10. नगर पालिका परिषद गौचर बोर्ड, उपरोक्त विज्ञापनों का वार्षिक ठेका भी करा सकती है, जिसके लिए फर्मों/व्यक्तियों,/एजेंण्टों से कोटेशन अथवा बोली ले सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेका लेने वाले व्यक्ति/फर्म को उपरोक्त सभी शर्तो का पूर्ण पालन करना होगा। शर्तो का उल्लंघन करने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकता है, एवं धरोहर/अग्रिम रूप में जमा धनराशि को जब्त किया जा सकता है।

11. नगर पालिका परिषद गौचर बोर्ड के पास उपरोक्त उपविधिओं के अन्तर्गत प्रत्यक्ष परिस्थितियों के आधार पर शर्तो एवं नियमों के अनुसार ठेका निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड़

उपरोक्त उपविधियों का उल्लधंन करके यदि कोई फर्म/ठेकेदार/व्यक्ति, किसी पोस्टर/होर्डिग अथवा उपरोक्त कोई भी विज्ञापन कही पर लगा दिया जाता है, तो नगर पालिका परिषद गौचर उक्त विज्ञापन को हटाने के साथ ही उससे विज्ञापन का किराया सहित प्रथम दण्ड के रुप में विज्ञापन किराये के 5 गुना आर्थिक दण्ड़ वसूल कर सकती है। दूसरी बार उक्त अपराध का उल्लघंन करने पर आर्थिक दण्ड़ के रुप में किराये के 10 गुना शुल्क भू–राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा।

नगर पालिका परिषद् गौचर – लाइसैन्स उपविधि

(मो0 न0 01363040711 ई0मेल– eonppgauchar16@gmail.com)

नगर पालिका परिषद् गौचर अपनी सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 की सूची 'ज' के (ए0बी0सी0) जो कि टाउन एरिया कमेटियों पर भी लागू है के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों हेतु व्यवसायिक लाइसैन्स फीस आरोपित/पुर्नरीक्षित करते हुए व्यवसाय हेतु व्यवसायिक लाइसैन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2019 बनायी जाती है। जो कि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः सामाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियॉ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गौचर को प्रेषित की जा सकेगी। उक्त अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

व्यवसायिक लाइसैन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि – 2019

1– संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :–

क– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् गौचर व्यवसायिक लाइसैन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि–2019 कहलायेगी।

ख– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् गौचर की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग– यह उपविधि नगर पालिका परिषद् गौचर द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएः–

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाच प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में।

क– नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गौचर से है।

ख– सीमा का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गौचर की सीमा से है।

ग– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् गौचर से है।

घ– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गौचर के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

ड– बोर्ड का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गौचर के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यों से है।

च– अधिनियम का तात्पर्य उ0प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916(उत्तराखण्ड में यथाप्रदत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश–2002 से है।

छ– लाइसैन्स का तात्पर्य नगर पालिका परिषद् गौचर की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाइसैन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क से है।

ज– अवधि तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1 वर्ष के लिये तक दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसैन्स से है।

अनुसूची

क्र0सं0	मद का नाम	लाइसैन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक	क्र0सं0	मद का नाम	लाइसैन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
1	2	3	1	2	3
1	अंग्रजी शराब की दूकान	50,000.00	2	होटल, लॉजिग/गेस्ट हाउस	800.00
3	रेस्टोरेन्ट उच्चतम/मध्यम श्रेणी	800/600.00	4	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	500.00
5	साइकिल/स्कूटर वाहन–रिपेयरिग शॉप	500.00	6	मोटर वाहन ऐजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	2500.00
7	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	1500.00	8	मोटर गेराज	500.00
	पेट्रोलियम				
9	पेट्रोल/डिजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	5000.00	10	पैट्रोल/डिजल पम्प फुटकर विक्रेता	3500.00

1	2	3	1	2	3
	अन्य व्यवसाय				
11	डाई क्लीनर	350.00	12	आटा चक्की/लधु उद्योग	350.00
13	लोहा व्यापारी,टिब्बर,सीमेन्ट,ईट,बालू, मारवल,टाईल्स सेनेटरी, हार्डवेयर	800.00	14	फुटकर बिजली सामान के विक्रेता	500.00
15	कपडा थोक विक्रेता/फुटकर	800/500	16	कैटरिंग	500.00
17	बैकरी(भट्टी)	500.00	18	हेयर कटिंग सैलून	350.00
19	ब्यूटी पार्लर	350.00	20	कुकिंग गैस एजेन्सी	5000.00
21	जनरल मर्चेन्ट थोक	800.00	22	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	800.00
23	टेलरिंग हाउस (5 तक कर्मचारी)	500.00	24	पेन्ट की दूकान	500.00
25	ज्वैल्र्स (बडी दुकान) 5 लाख से उपर तक टर्नओवर	800.00	26	ज्वैल्र्स (छोटी) 5 लाख तक टर्नओवर	500.00
27	डेरी (दूध,पनीर,दही,एवं दूध से बनी अन्य पदार्थ)	500.00	28	ओडियों/वीडियों लाईब्रेरी	500.00
29	मोबाईल विक्रेता/विभिन्न मोबाईल कम्पनीयो के रिचार्ज एवं मरम्मत की दूकान	800.00	30	केबिल टी0बी0 नेटवर्क	800.00
31	अनाज,तिलहन,चीनी,गुड,खण्डसीरी (फुटकर विक्रेता)	500.00	32	टेन्ट हाउस/वेडिंग प्वाइंट	800.00
33	रेडीमेड गारमेन्टस (बडी दूकान)	800.00	34	रेडीमेड गारमेन्टस (छोटी दूकान)	500.00
35	टूर एण्ड ट्रेवल्स	500.00	36	फोटो स्टूडियों	500.00
	दूकान				
37	पान की दूकान	250.00	38	चाय की दूकान	300.00
39	स्टेशनरी/दूकान बुकसेलर	500.00	40	न्यूज पेपर	300.00
41	लकडी टाल	500.00	42	रेडियों/टी0वी0/घडी/स्टीव/ मैकेनिक मरम्मत	300.00
43	टी0बी0 शॉप/इलैक्ट्रोनिक वस्तुए	800.00	44	मिठाई की दूकान	500.00
45	ड्राई फूट/नमकीन की विक्रेता	300.00	46	सब्जी की दूकान व फल की दूकान	500.00
47	कॉकरी विक्रेता	400.00	48	फर्नीचर विक्रेता	800.00
49	चूडी विक्रेता	400.00	50	मॉस विक्रेता	800.00
51	शूज विक्रेता	500.00	52	मेडिकल क्लीनिक	1000.00
53	मेडिकल स्टोर	600.00	54	गिफ्ट एवं फेन्सी सेन्टर	600.00
55	ऑप्टीकल	500.00	56	प्रीटिंग प्रेस	600.00
57	कबाड़ विक्रेता सप्लायर	500.00	58	ठेकेदारी	2000.00
59	जूस/गन्ने का रस विकेता	500.00	60	सिनेमा हाल/विडियों हाल	800.00
61	गलियों की दुकाने	300.00	62	चाय विस्कुट विकेता	300.00
63	वर्तन विक्रेता	500.00	64	फैब्रीकेशन/वेल्डिंग शॉप	500.00
65	कम्प्यूटर सैन्टर	500.00	66	अन्य	500.00

3– लाईसैन्स– आवेदक द्वारा लाइसैन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ फोटो (पासपोर्ट साइज) तथा आवेदन में व्यवसाय का मद एवं अन्य जानकारी जो भी वर्तमान में सरकार द्वारा/निकाय द्वारा मांगा जायेगा का विवरण भी देना होगा।

4– प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पालिका द्वारा समुचित विचारोंपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाईसैन्स देय जाने का निर्णय लिया जाऐगा, जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दी जाएगी।

5– सूची में वर्णित व्यवसायीक लाईसैन्स 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनाया जाना अनिवार्य होगा। इस लाईसैन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी। अन्यथा स्थिति में विलंम्ब शुल्क जो लाईसैन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाऐगा। अतिरिक्त अधिकारी के रुप में जमा करना होगा।

6– लाईसैन्स जारी करने का अधिकारी अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा नामित अधिकारी में निहित होगी।

7– जॉचकर्ता के जॉच के समय व्यवसाय के सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने की उत्तरदायित्व व्यवसाय का होगा।

8– लाईसैन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जॉच का कार्य सम्पादित कर सकता है जो पालिका के कर निरिक्षक स्तर से कम नही होगा।

9– लाईसैन्स धारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रुप से एक माह के अन्दर पालिका में अपने पुराने लाईसैन्स विवरण के साथ लिखित रुप से उपलब्ध करा देगा।

10– उक्त सूची में वर्णित लाईसैन्स के नियमों का उल्लधन होने की दशा में लाईसैन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाईसैन्स निरस्त कर सकता है लाईसैन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कराता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकारी अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी में निहित होगा।

शस्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लधन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 29 की उपधारा (1) के अर्न्तगत दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 रुपया तक हो सकता है, उपनियम का उल्लधन जारी रहने पर अग्रेत्तर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन तक रू0–50 हो सकता है, अधिकार नगर पलिका परिषद् गौचर में अन्तिम रुप से निहित होगा।

राधेश्याम छाछर,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
गौचर, चमोली।

अन्जू बिष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
गौचर, चमोली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 हिन्दी गजट/133–भाग 8–2020 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।